

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किये गये दत्तमत एवं भारित व्ययों का लेखा-जोखा है, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न की गयी सूचियों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित अनुदानों एवं विनियोगों से की जाती है। इन लेखों में विनियोग लेखे द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत मदों की धनराशियों के सापेक्ष मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोगों की धनराशियों का विवरण दिया जाता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे एक नियन्त्रण अभिलेख है जोकि वित्त प्रबंधन एवं बजट के प्रावधानों के अनुश्रवण को सुसाध्य बनाते हैं। इसलिए यह वित्त लेखे के पूरक भी है।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत थी एवं संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भारित थी। लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधि सम्बन्धित नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.2 विनियोग लेखों का संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2011-12 की अवधि में 91 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति सारणी 2.1 में सारांशीकृत की गयी है।

सारणी 2.1: वास्तविक/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय का स्वरूप		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) / बचत (-)
दत्तमत	I राजस्व	1,02,236.19	6,592.32	1,08,828.51	1,00,258.00	(-) 8,570.51
	II पूंजीगत	34,389.77	3,631.42	38,021.19	32,475.23	(-) 5,545.96
	III ऋण तथा अग्रिम	923.30	556.86	1,480.16	975.57	(-) 504.59
योग दत्तमत		137549.26	10,780.60	1,48,329.86	1,33,708.80	(-)14,621.06
भारित	IV राजस्व	24,004.76	57.71	24,062.47	24,328.22	(+)265.75
	V पूंजीगत	135.21	0	135.21	94.66	(-) 40.55
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	18,356.25	41.63	18,397.88	8,287.61	(-) 10,110.27
योग भारित		42,496.22	99.34	42,595.56	32,710.49	(-) 9,885.07
कुल योग		1,80,045.48	10,879.94	1,90,925.42	1,66,419.29	(-) 24,506.13
नोट: वास्तविक व्यय के आंकड़े जिसमें दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 701.05 करोड़), दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 10,961.30 करोड़) एवं पूंजीगत भारित व्यय (₹ 34.63 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।						

स्रोत: विनियोग लेखे

राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 120 प्रकरणों तथा ऋण सहित (लोक ऋण पुनर्भुगतान) पूंजीगत मद के अन्तर्गत 68 प्रकरणों में ₹ 26,546.00 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 24,506.13 करोड़ की कुल बचत थी जो राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 11 प्रकरणों तथा पूंजीगत मद के छः प्रकरणों में ₹ 2,039.88 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

बचत/आधिक्य के ब्यौरे (विस्तृत विनियोग लेखा) नियंत्रण अधिकारियों को (अगस्त 2012) महत्वपूर्ण विचलनों की व्याख्या हेतु भेजे गये थे। विचलनों की व्याख्या अभी तक (नवम्बर 2012) अप्राप्त थी।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 119 प्रकरणों में प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक थी (परिशिष्ट 2.1)। ₹ 26,546.00 करोड़ की कुल बचत के सापेक्ष 34 अनुदानों एवं विनियोगों से सम्बंधित 50 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक) में ₹ 25,628.30 करोड़ (96.5 प्रतिशत) की बचत पायी गयी जिनका विवरण सारणी 2.2 में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 2.2: ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व – दत्तमत							
1.	2	आवास विभाग	159.54	0.00	159.54	103.37	56.16
2.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	233.00	0.00	233.00	31.23	201.77
3.	11	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	2,486.58	300.50	2,787.08	2,020.72	766.36
4.	12	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	447.97	0.00	447.97	213.50	234.47
5.	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,918.56	279.31	2,197.87	2,063.56	134.32
6.	14	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज)	2,390.20	342.24	2,732.44	2,520.81	211.63
7.	26	गृह विभाग (पुलिस)	6,989.53	340.90	7,330.43	7275.69	54.74
8.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	2,551.85	0.00	2,551.85	2,406.15	145.70
9.	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	397.66	0.47	398.13	345.53	52.60
10.	37	नगर विकास विभाग	1,112.10	3.91	1,116.01	490.50	625.51
11.	40	नियोजन विभाग	486.10	1.24	487.34	121.88	365.46
12.	42	न्याय विभाग	1,147.73	76.00	1,223.73	1,051.37	172.36
13.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	3,520.40	495.77	4,016.17	3,380.07	636.10
14.	51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	839.59	1,305.42	2,145.01	1,747.63	397.38
15.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् एवं अन्य व्यय)	1,659.15	51.37	1,710.52	1,640.62	69.90
16.	54	लोक निर्माण विभाग (स्थापना)	1,219.35	0.00	1,219.35	980.81	238.54

17.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	5,817.10	0.00	5,817.10	5,757.37	59.73
18.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	18,881.00	797.40	19,678.40	18,790.40	888.00
19.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक)	6,621.01	618.70	7,239.71	6,656.84	582.87
20.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,074.17	41.03	2,115.20	1,369.44	745.76
21.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	179.13	358.88	538.01	181.19	356.82
22.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	434.33	0.00	434.33	356.79	77.54
23.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति कल्याण)	3,394.05	61.76	3,455.81	3,325.75	130.06
24.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	163.03	577.77	6,740.80	5,948.34	792.46
25.	86	सूचना विभाग	144.81	0.00	144.81	83.67	61.14
26.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,095.85	0.00	2,095.85	1,591.50	504.35
योग			73,363.79	5,652.67	79,016.46	70,454.73	8,561.73
राजस्व - भारत							
27.	42	न्याय विभाग	187.94	50.00	237.94	172.21	65.73
योग			187.94	50.00	237.94	172.21	65.73
पूंजीगत - दत्तमत							
28.	2	आवास विभाग	1,072.64	66.00	1,138.64	943.61	195.03
29.	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	154.30	1.82	156.12	105.21	50.91
30.	9	ऊर्जा विभाग	4,149.00	0.00	4,149.00	4,034.36	114.64
31.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	687.71	62.10	749.81	648.95	100.86
32.	13	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,313.99	150.00	1,463.99	1272.16	191.83
33.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	8,770.58	3.76	8,774.34	6,962.55	1,811.79
34.	25	गृह विभाग(कारागार)	390.10	2.50	392.60	204.50	188.10
35.	26	गृह विभाग(पुलिस)	604.21	270.35	874.56	386.20	488.36
36.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	491.57	0.00	491.57	344.43	147.14
37.	37	नगर विकास विभाग	1,682.00	610.00	2,292.00	2,030.24	261.76
38.	40	नियोजन विभाग	1,050.56	356.86	1,407.42	747.90	659.52
39.	42	न्याय विभाग	210.78	50.00	260.78	182.35	78.43
40.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	180.69	22.26	202.95	149.47	53.48

41.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	524.81	0.00	524.81	151.45	373.36
42.	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	220.00	0.00	220.00	108.68	111.32
43.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	1262.42	156.91	1,419.33	1109.09	310.24
44.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	519.00	0.00	519.00	117.22	401.78
45.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	150.00	0.00	150.00	75.17	74.83
46.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	119.80	42.02	161.82	33.96	127.86
47.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना)	3559.19	1313.00	4,872.19	4456.73	415.46
48.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3306.65	11.32	3,317.97	2583.11	734.86
योग			30420.00	3118.90	33,538.90	26647.34	6891.56
पूँजीगत –भारित							
49.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	1200.04	0.00	1,200.04	1090.00	110.04
50.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	17209.86	0.00	17,209.86	7210.61	9,999.25
योग			18409.90	0.00	18,409.90	8300.61	10,109.29
महायोग			122381.63	8821.57	131,203.20	105574.90	25,628.30

स्रोत : विनियोग लेखे

सारणी यह दर्शाता है कि ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व दत्तमत के अंतर्गत अनुदान संख्या 11—कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि), 37—नगर विकास विभाग, 49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग, 71—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72—शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), 73—शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), 83—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना), 94—सिंचाई विभाग (निर्माण) में हुई जो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि के पाँच प्रतिशत से 56 प्रतिशत के मध्य थी। ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें पूँजीगत दत्तमत मद के अंतर्गत अनुदान संख्या 21—खाद्य एवं रसद विभाग, 40—नियोजन विभाग एवं 94—सिंचाई विभाग (निर्माण) में भी रही जो कि सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि के 21 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के मध्य थी।

2.3.2 अनवरत बचत

सात अनुदानों के अंतर्गत आठ प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत यह दर्शाती है कि बजट का आँकलन वास्तविक नहीं था। इसका विवरण सारणी 2.3 में दिया गया है।

सारणी 2.3: अनवरत बचत वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत की धनराशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व-दत्तमत						
1.	37-नगर विकास विभाग	1,212.43	300.97	54.47	711.79	625.51
2.	40-नियोजन विभाग	11.43	32.71	44.66	183.71	365.46
3.	49- महिला एवं बाल कल्याण विभाग	116.12	138.16	218.28	180.62	636.10
4.	73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	806.72	164.51	93.50	571.89	745.76
पूँजीगत-दत्तमत						
5.	9-ऊर्जा विभाग	1,548.62	2,176.69	1,870.59	631.48	114.64
6.	26-गृह विभाग(पुलिस)	46.18	69.62	145.34	356.13	488.36
7.	61-वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	149.72	21.69	274.13	153.04	401.78
पूँजीगत- भारित						
8.	61-वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	9,704.02	10,001.56	9,219.96	9,288.06	9,999.25

स्रोत: विनियोग लेखे

2.3.3 व्ययाधिक्य

सात प्रकरणों में ₹ 41,288.28 करोड़ के व्यय की धनराशि अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 2,025.09 करोड़ अधिक थी जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक का व्यय था। इसका विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है। सारणी 2.4 के विवरणानुसार निम्नलिखित अनुदानों में लगातार पाँच वर्षों से 2011-12 के अंत तक व्ययाधिक्य पाया गया।

सारणी 2.4: अनवरत अधिक व्यय से सम्बन्धित अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की धनराशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व-दत्तमत						
1	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	24.32	58.62	132.39	121.37	106.77
पूँजीगत-दत्तमत						
2	55- लोक निर्माण विभाग (भवन)	644.60	769.50	362.12	144.20	54.55
3	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	1427.82	1697.88	1,140.84	1152.14	1068.66

स्रोत: विनियोग लेखे

2.3.4 विगत वर्षों के प्रावधान से अधिक हुए व्ययों का विनियमितीकरण

भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दिये गये अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय को राज्य विधान मंडल से नियमित कराये। फिर भी, वर्ष 2005-06 से वर्ष 2010-11 की अवधि के व्ययाधिक्य ₹ 13,474.10 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था जिसका विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है। अनुदानों/विनियोगों के वर्षवार व्ययाधिक्य, जो विनियमितीकरण हेतु लंबित थे, सारणी 2.5 में सारांशीकृत है।

सारणी 2.5: विगत वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमितीकरण

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की धनराशि (₹ करोड़ में)
	अनुदान	विनियोग	
2005-06	25	4	1,026.78
2006-07	18	6	2,484.47
2007-08	12	2	3,610.65
2008-09	5	1	3,399.42
2009-10	6	6	1,250.16
2010-11	6	4	1702.62
योग	72	23	13,474.10

स्रोत: विनियोग लेखे

2.3.5 वर्ष 2011-12 में प्रावधान से अधिक हुए व्ययों का विनियमितीकरण

वर्ष 2011-12 की अवधि में अनुदानों/विनियोगों के नौ प्रकरणों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत धनराशि से अधिक किया गया कुल व्ययाधिक्य ₹ 1,890 करोड़ का सार सारणी 2.6 में दिया गया है, जिनका संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत विनियमितीकरण अपेक्षित है।

सारणी 2.6: वर्ष 2010-11 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का आवश्यक विनियमितीकरण (₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य	अपेक्षित विनियमितीकरण
(अ) राजस्व —दत्तमत					
1	21- खाद्य एवं रसद विभाग	41.98	43.40	1.43	1.19
2	62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	10,634.41	11,089.87	455.46	455.28
3	91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	140.42	149.66	9.24	9.22
योग (अ)		10,816.81	11,282.93	466.13	465.69
(ब) पूंजीगत —दत्तमत					
4	1-आबकारी विभाग	1.41	1.88	0.47	0.47
5	55-लोक निर्माण विभाग (भवन)	50.92	105.47	54.55	51.55
6	58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें)	3,393.38	4,462.04	1,068.66	1,034.98
योग (ब)		3,445.71	4,569.39	1,123.68	1,087
(स) राजस्व —भारित					
7	13- कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.13	0.14	0.01	0.01
8	18-कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (साहकारिता)	3.927	3.929	0.002	0.002
9	23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.015	0.050	0.035	0.035
10	61- वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	23,462.69	23,790.98	328.29	325.22
11	62- वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	16.51	28.15	11.64	11.63
12	82-सतर्कता विभाग	2.93	3.00	0.07	0.07
योग(स)		23,486.202	23,826.249	340.047	336.967
महायोग(अ)+(ब)+(स)		37,748.722	39,678.569	1,929.857	1,889.657

स्रोत: विनियोग लेखे

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 45 प्रकरणों में ₹ 3,744.49 करोड़ का पूरक अनुदान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) प्राप्त किया गया जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी। विवरण **परिशिष्ट 2.4** में दिया गया है। दो प्रकरणों में ₹ 577.89 करोड़ का पूरक अनुदान जो कि प्रत्येक प्रकरण में ₹ दो करोड़ से अधिक था, अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके कारण ₹ 1,077.90 करोड़ व्यय अनाच्छादित रहा, अधिक था (**परिशिष्ट 2.5**)।

2.3.7 अधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोग

किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई (जहाँ पर बचत पूर्वानुमानित हो) से दूसरी इकाई (जहाँ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो) में हस्तान्तरण की प्रक्रिया पुनर्विनियोग है। अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग या तो अधिक और या अपर्याप्त सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप, कुछ प्रकरणों में ₹ 465.42 करोड़ की बचत तथा अन्य में ₹ 781.89 करोड़ का आधिक्य हुआ जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है।

2.3.8 अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण

योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वित न होने या धीमी गति से होने के कारण 132 उपशीर्षों से संबंधित अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत या अधिक) करना पड़ा। 132 योजनाओं में कुल प्रावधानित ₹ 12,959.19 करोड़ में से ₹ 12,457.95 करोड़ (96 प्रतिशत) की धनराशि अभ्यर्पित की गई। इनमें से 55 योजनाओं हेतु प्रावधानित ₹ 10,841.14 करोड़ का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित है। इस प्रकार के प्रकरणों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है जोकि यह दर्शाता है कि बजट हेतु समुचित तैयारियाँ नहीं की गयी थी।

2.3.9 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

सात प्रकरणों में वास्तविक बचत से अधिक की धनराशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अभ्यर्पित की गयी थी। इन प्रकरणों में ₹ 1,041.03 करोड़ अभ्यर्पित किया गया जो बचत से ₹ 464.10 करोड़ अधिक था। इसका विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है।

2.3.10 अभ्यर्पित न की गई पूर्वानुमानित बचतें

बजट मैनुअल के अनुसार व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदान/विनियोग या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। फिर भी, वर्ष 2011-12 के अन्त में 61 अनुदानों/विनियोगों के प्रकरणों में बचत होने के बाद भी उसका कोई भाग सम्बन्धित विभागों द्वारा वित्त विभाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया था। इन प्रकरणों में ₹ 6,242.11 करोड़ की धनराशि निहित थीं जो कुल बचतों का 24 प्रतिशत था (**परिशिष्ट 2.9**)।

इसी प्रकार, 86 प्रकरणों (₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत वाले) में कुल बचत की धनराशि ₹ 14,447.78 करोड़ में से ₹ 10,132.55 करोड़ (73 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं की गयी, जो कुल बचत (₹ 26,546 करोड़) का 38 प्रतिशत थी जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ अवरुद्ध रही तथा इनका उपयोग अन्य विकास कार्यों हेतु नहीं किया जा सका।

2.3.11 व्यय का बाहुल्य

बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(ई) के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह में व्यय के बाहुल्य से बचना चाहिये। मुख्य शीर्षों, जिनमें वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में 50 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह की अवधि में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया था, सारणी 2.7 में दर्शाये गये हैं। यह इस तथ्य का द्योतक है कि व्यय पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

सारणी 2.7: व्यय का बाहुल्य

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष 2011-12 के अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2012 के दौरान व्यय	
		धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय का प्रतिशत	धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय का प्रतिशत
2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	940.89	625.00	66	563.05	60
2048-ऋण घटाने या परिहार करने हेतु विनियोजन	8,626.61	8,626.61	100	8,626.61	100
2425-सहकारिता	466.60	308.85	66	229.00	74
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	378.82	227.25	60	217.10	57

स्रोत: वी० एल० सी० डाटा

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

विधान सभा में समस्त अनुदानों की माँगों पर मतदान पूर्ण होने के पश्चात् राज्य की समेकित निधि से (क) विधान सभा द्वारा पारित अनुदानों की माँगों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् विधेयक पर राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त की जाती है जिसके उपरान्त अधिनियम एवं संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी गयी धनराशियाँ विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि होती है।

विनियोग अधिनियम, 2011 के कुल 91 अनुदानों में से चार अनुदानों नामित: अनुदान संख्या 16—कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या 71—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) और अनुदान संख्या 83—समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) की माह सितम्बर 2012 में समीक्षा की गयी थी। अनुदानों के बजट प्राविधानों, व्ययों तथा बचतों का विवरण सारणी 2.8 में सारांशिकृत है:—

सारणी 2.8 चार समीक्षित अनुदानों का सारांश

(₹ हजार में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत	लेखाशीर्ष
अनुदान संख्या 16—कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)					
राजस्व —दत्तमत					
मूल प्रावधान	41,31,10	41,31,10	39,54,61	1,76,49	एम.एच. 2404
राजस्व भारित					
मूल प्रावधान	10	10	शून्य	10	एम.एच. 2404
योग	41,31,20	41,31,20	39,54,61	1,76,59	
अनुदान संख्या 49—महिला एवं बाल कल्याण विभाग					
राजस्व दत्तमत					
मूल प्रावधान	35,20,40,27	40,16,17,57	33,80,06,69	6,36,10,88	एम.एच.2235
अनुपूरक	4,95,77,30				

राजस्व भारित					
मूल प्रावधान	10	10	शून्य	10	एम.एच.2235
पूँजीगत दत्तमत					
मूल प्रावधान	3,00,00	3,00,00	75,41	2,24,59	एम.एच. 4235
योग	40,19,17,67	40,19,17,67	33,80,82,10	6,38,35,57	
अभ्यर्पित धनराशि:	राजस्व दत्तमत			5,47,18,13	
अनुदान संख्या 71 – शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)					
राजस्व दत्तमत					
मूल प्रावधान	1,88,80,99,84	1,96,78,39,78	1,87,90,40,00	8,87,99,78	एम.एच. 2071,2202 एवं 2204
अनुपूरक	7,97,39,94				
योग	1,96,78,39,78	1,96,78,39,78	1,87,90,40,00	8,87,99,78	
अभ्यर्पित धनराशि:	राजस्व दत्तमत			7,17,85,10	
अनुदान संख्या 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)					
राजस्व दत्तमत					
मूल प्रावधान	61,63,02,69	67,40,79,69	59,48,34,06	7,92,45,63	2070, 2202, 2203, 2210, 2215, 2217, 2225, 2230, 2235, 2401, 2403, 2404, 2405, 2425, 2501, 2505, 2506, 2515, 2702, 2810 & 2851
अनुपूरक	5,77,77,00				
पूँजीगत दत्तमत					
मूल प्रावधान	35,59,18,82	48,72,18,88	44,56,73,19	4,15,45,69	4202, 4210, 4215, 4216, 4217, 4225, 4250, 4406, 4515, 4575, 4702, 4801, 5054, 6225 & 6425
अनुपूरक	13,13,00,06				
योग	1,16,12,98,57	1,16,12,98,57	1,04,05,07,25	12,07,91,32	
अभ्यर्पित धनराशि:	राजस्व दत्तमत			7,76,27,54	
	पूँजीगत दत्तमत			3,63,35,25	
महायोग अनुदान सं० 16, 49,71,83					
राजस्व दत्तमत					
मूल प्रावधान	2,86,05,73,90	3,04,76,68,14	2,81,58,35,36	23,18,32,78	
अनुपूरक	18,70,94,24				
राजस्व भारित					
मूल प्रावधान	20	20	-	20	
अनुपूरक	-				
पूँजीगत दत्तमत					
मूल प्रावधान	35,62,18,82	48,75,18,88	44,57,48,60	4,17,70,28	
अनुपूरक	13,13,00,06				
महायोग	3,21,67,92,92	3,53,51,87,22	3,26,15,83,96	27,36,03,26	
मूल प्रावधान					
अनुपूरक	31,83,94,30				
अभ्यर्पित धनराशि:	राजस्व दत्तमत			20,41,30,77	
	पूँजीगत दत्तमत			3,63,35,25	

स्रोत: विनियोग लेखे

सारणी में प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार कुल बचतें ₹ 2,736.03 करोड़ में से मात्र ₹ 2,404.66 करोड़ (12 प्रतिशत) का ही अनुमान समर्पण हेतु किया गया तथा अवशेष ₹ 331.37 करोड़ व्यपगत हो गया। निम्नलिखित बिन्दु भी संज्ञान में आये:

- दुग्धशाला विकास योजनाओं के लिए अनुदान संख्या-16 के अंतर्गत ₹ 24.00 करोड़ का बजट प्रावधानित था जबकि भारत सरकार द्वारा ₹ 1.70 करोड़ स्वीकृत न किये जाने तथा ₹ 4.00 लाख नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरित न किये जाने के कारण कुल ₹ 1.74 करोड़ की बचत हुई। बचत वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस पर ही समर्पित की गयी।

- इसी प्रकार, अनुदान संख्या-49 के अंतर्गत विभागीय संस्थाओं/गृहों के निर्माण हेतु ₹ 3.00 करोड़ प्रावधानित किये गये थे जबकि राज्य सरकार द्वारा निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृत न किये जाने के कारण ₹ 2.25 करोड़ की बचत हुई। बचतों को वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस पर समर्पित किया गया था। उसी प्रकार महिला आश्रय सदन की स्थापना हेतु ₹ 1.70 करोड़ का प्रावधान किया गया था। फिर भी, अनुपूरक अनुदान में अधिक प्रावधान के कारण ₹ 1.32 करोड़ की बचत हुई। ₹ 15.00 लाख की मांग के सापेक्ष ₹ 1.48 करोड़ अनुपूरक अनुदान में प्रावधानित किया गया था। बचत वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस पर ही समर्पित की गयी थी।
- अनुदान संख्या-71 में 'मध्याह्न भोजन योजना' के अंतर्गत विभागीय प्रस्ताव ₹ 1,318.99 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1,041.52 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था। योजना में अनाज के बिलों के लम्बित होने के कारण ₹ 101.62 करोड़ की बचत हुई। उसी अनुदान में ₹ 1,835.81 करोड़ 'सर्व शिक्षा अभियान' हेतु प्राविधानित था। ₹ 620.13 करोड़ की धनराशि का समर्पण इस धनराशि से शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान न किये जाने के कारण किया गया था यद्यपि भारत सरकार द्वारा नये प्राथमिक विद्यालयों को खोलने तथा उच्चिकृत करने हेतु समतुल्य धनराशि निर्गत कर दी गयी थी।
- अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत अम्बेडकर ग्रामों के 4,632 विद्यालयों (₹ 23.03 करोड़) की चहारदीवारी निर्माण और 7,552 विद्यालयों (₹ 64.85 करोड़) में विद्युतीकरण हेतु कुल ₹ 87.88 करोड़ का प्रावधान किया गया था। प्रावधानित धनराशि शासन द्वारा स्वीकृति न किये जाने के कारण ₹ 76.19 करोड़ की बचत हुई। उसी अनुदान में ₹ 440 करोड़ की धनराशि वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन योजना (राज्य सेक्टर) के क्रियान्वयन हेतु दी गयी थी, परन्तु क्रियान्वयन स्तर पर धन की आवश्यकता न होने के कारण ₹ 334.56 करोड़ की बचत हुई।
- अनुदान संख्या-49 और अनुदान संख्या-83 के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 17 योजनाओं की विभागीय मांगों के सापेक्ष अत्यधिक धनराशि का प्रावधान बजट में किया गया था जिसका विस्तृत विवरण सारणी 2.9 में दिया गया है। वर्ष 2011-12 की अवधि में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी और वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस पर समर्पित कर दी गयी।

सारणी 2.9: बजट में प्राविधानित राशि जिसकी स्वीकृतियाँ जारी नहीं हुयी

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	योजना का नाम तथा लेखाशीर्ष	बजट प्रावधान	समर्पण
अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग			
1	बालकों के लिए खुले आश्रय गृह; 2235-02-102-01-07	7.00	7.00
2	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट; 2235-02-102-01-10	0.97	0.97
3	समन्वित बाल विकास संरक्षण यूनिट; 2235-02-102-01-15	32.56	32.56
4	स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह का संचालन; 2235-02-102-01-17	15.75	15.75
5	राजकीय पाश्यातवर्ती देखरेख संगठन; 2235-02-102-01-19	0.59	0.59
6	दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी; 2235-02-102-01-21	0.11	0.11

7	किशोर न्याय निधि; 2235-02-102-05	0.25	0.25
8	उ0प्र0 बाल संरक्षण आयोग; 2235-02-102-15	2.64	2.64
9	उ0प्र0 महिला निधि; 2335-02-103-05	0.35	0.35
10	महिला संरक्षण एवं उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ; 2235-02-103-06	0.30	0.30
अनुदान संख्या 83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)			
11	अनुसूचित जाति के छात्रावासों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान; 2225-01-789-07	0.30	0.30
12	अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता; 2225-01-789-11	4.00	4.00
13	कोल जाति के लिए विशेष उत्थान कार्यक्रम; 2225-08-789-03	6.80	6.80
14	राज0आश्रम पद्धति विद्यालयों का कक्षा 12 तक उच्चीकरण; 4225-01-789-05	4.00	4.00
15	स्वैच्छिक संस्थाओं/विश्वविद्यालय/विद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास; 4225-01-789-08	1.00	1.00
16	कोचिंग केन्द्र भवन का निर्माण; 4225-01-789-09	2.00	2.00
17	कोल जाति के लिए विशेष उत्थान कार्यक्रम; 225-08-789-03	3.55	3.55
योग		82.17	82.17

स्रोत: विनियोग लेखे

विभिन्न योजनाओं के लिए बजट में वित्तीय प्रावधान किये जाने तदोपरान्त उपभोग न किया जाना अथवा लक्षित उद्देश्य की पूर्ति धनराशियों हेतु स्वीकृति न किया जाना इस तथ्य का द्योतक है कि बजट तैयार करने की प्रक्रिया एवं प्रबन्धन अपर्याप्त था जैसा कि सारणी 2.9 देखा जा सकता है।

2.5 बजट अनुमानों का तैयार किया जाना

2.5.1 प्रस्तावना

बजट मैनुअल के प्रस्तर 8 के अनुसार विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग को प्रति वर्ष 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करायी गई बजट सम्बन्धी सामाग्रियों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा बजट तैयार किया जाता है। विभागाध्यक्षों एवं अन्य आगणन अधिकारियों द्वारा अपने से सम्बन्धित प्रत्येक लेखाशीर्षों (प्राप्तियाँ एवं व्यय) के अनुमानों को तैयार कर वित्त विभाग को इस आशय हेतु प्रेषित किया जाता है कि वित्त विभाग बजट को अन्तिम रूप दे कर विधान सभा में वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत कर सके।

बजट मैनुअल में निर्धारित बजट तैयार करने की प्रक्रिया की अनुपालन मूल्यांकन हेतु हमारे द्वारा 72 में से पाँच चयनित (माध्यमिक शिक्षा, नगर विकास, जनजाति कल्याण, गृह-पुलिस, सिंचाई) प्रशासनिक विभागों से सम्बन्धित अभिलेखों (2007-12) की मई से जुलाई 2012 के मध्य जाँच की गई। साथ ही शासन स्तर पर वित्त विभाग (बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी) तथा राज्य स्तर के सम्बन्धित निदेशालयों के अभिलेखों की जाँच सम्पादित की गई। जाँच का परिणाम अग्रेतर प्रस्तरों में दिया गया है:

2.5.2 विलम्ब से प्रस्तुति/बजट अनुमानों के आधार की अनुपलब्धता

पाँच विभागों की सम्प्रेक्षा में यह देखा गया कि विभागों द्वारा वर्ष 2008-12 की अवधि में बजट अनुमान तैयार करने हेतु सामग्री या तो विलम्ब से प्रेषित की गयी थी या वर्ष 2008-12 की अवधि के बजट अनुमान तैयार किये जाने के आधार उपलब्ध नहीं थे जिसे सारणी 2.10 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.10: विलम्ब/बजट अनुमानों की अप्रस्तुति

2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
माध्यमिक शिक्षा			
07 दिन	अभिलेख अप्रस्तुत	अभिलेख अप्रस्तुत	21 दिन
नगर विकास			
06 दिन	अभिलेख अप्रस्तुत	18 दिन	08 दिन
जनजाति कल्याण			
15 दिन	18 दिन	15 दिन	36 दिन
गृह (पुलिस)			
36दिन	समय से	10 दिन	समय से
सिंचाई			
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा मांग किये जाने पर अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये (जून 2012)।			

स्रोत: विभागीय आंकड़े

2.5.3 बजट मैनुअल के प्राविधानित नियमों का उल्लंघन

बजट मैनुअल के प्रस्तर 32 के प्रावधान के अनुसार आगामी वर्ष में वेतन मद के अंतर्गत किया जाने वाला बजट अनुमान स्वीकृत पदों के स्थान पर आगामी वर्ष में वेतन (विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन सम्मिलित परन्तु क्षतिपूर्ति भत्ता छोड़कर) मद में व्यय पर आधारित हो जो कि कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा वास्तव में डियूटी पर होने की स्थिति में आहरित किया जाये। वित्त विभाग द्वारा भी इसके अनुपालनार्थ दिशा-निर्देश जारी (सितम्बर/अक्टूबर प्रत्येक वर्ष) किये गये थे।

अभिलेखों की जाँच की अवधि में हमारे संज्ञान में यह आया (मई से जुलाई 2012) कि पाँच नमूना जाँच किये गये विभागों में से चार विभागों (माध्यमिक शिक्षा, नगर विकास, जनजाति कल्याण एवं सिंचाई विभाग) द्वारा वर्ष 2007-12 की अवधि के वेतन भत्तों के अनुमान कार्यरत के स्थान पर स्वीकृत पदों के आधार पर तैयार किये गये थे। वित्त विभाग एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा भी इन त्रुटियों की जांच-पड़ताल नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप अत्यधिक धनराशियों (₹ 1,957 करोड़) का समर्पण वित्तीय वर्ष के अन्त में किया गया (**परिशिष्ट 2.11**)। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिकतम ₹ 1,592 करोड़ (2007-12) की धनराशि का समर्पण संज्ञान में आया।

2.5-4 अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण बजट

बजट मैनुअल के प्रस्तर 28 के प्रावधान अनुसार बजट अनुमान जहाँ तक सम्भव हो निकटतम एवं शुद्ध होने चाहिए तथा प्रत्येक मद में सम्मिलित प्राविधान वित्तीय वर्ष में अनुमानित वास्तविक भुगतान अथवा व्यय पर आधारित होना चाहिए। बजट मैनुअल के प्रस्तर 30 में भी अनुमान तैयार करते समय विगत तीन वर्षों के वास्तविक व्ययों के औसत के साथ-साथ वर्तमान वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान को दृष्टिगत रखना चाहिए। उक्त विभागों के निदेशालयों के अभिलेखों से यह विदित हुआ कि वर्ष 2007-12 की अवधि के लेखा शीर्षों (वेतन एवं भत्तों से अलग) के बजट अनुमान बिना इन औसतों को ध्यान में रखे तैयार किये गये थे जिसके फलस्वरूप ₹ 6,651 करोड़ का समर्पण उक्त अवधि में परिलक्षित हुआ जिसकी **परिशिष्ट 2.12** में दिये गये आंकड़ों से पुष्टि

होती है। सिंचाई विभाग में बजट में प्रावधानित धनराशि की अधिकतम धनराशि (₹ 3,769 करोड़: 2007-12) का समर्पण संज्ञान में आया था।

2.5.5 विभागीय अनुमानों को तैयार करने में सिद्धांतों की अवहेलना

बजट मैनुअल के प्रस्तर 25 के अनुसार बजट तैयार किये जाने का मुख्य उद्देश्य वास्तविक व्यय/प्राप्तियों का सही अनुमान किया जाना है। तदनुसार, न केवल राजस्व एवं प्राप्तियों की समस्त मदें जिनका कि अनुमान किया जा सकता है, को उल्लिखित करना चाहिए बल्कि मात्र इतना एवं अधिक जिसकी वसूली की पूर्वाशा हो, का प्रावधान बजट वर्ष में किया जाना चाहिए जिसमें विगत बकाया भी सम्मिलित हो। यद्यपि, राजस्व एवं वास्तविक प्राप्तियों (2007-12) के अनुमानों की जांच में हमारे जानकारी में अत्यधिक भिन्नतायें—जिसमें पाँच से 62 प्रतिशत आधिक्य एवं तीन से 68 प्रतिशत की कमी पायी गयी जोकि यह दर्शाता है कि अनुमान वास्तविक नहीं थे। वर्षवार एवं विभागवार अवास्तविक अनुमानों की स्थिति **परिशिष्ट 2.13** में प्रदर्शित है।

प्रकरण शासन को संदर्भित (सितम्बर 2012) किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2012) था।

2.6 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय, आवंटन, व्यय एवं उसके परिणाम

2.6.1 प्रस्तावना

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में ध्यान राज्य के तीव्र एवं समग्र विकास पर केन्द्रित था। उक्त योजना कमजोर एवं सीमान्त लोगों की विकास कार्यक्रम में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी जिससे कि विभिन्न सामाजिक समूहों में अन्तर एवं क्षेत्रों के अन्तर को कम किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा पंचवर्षीय (2007-2012) योजनान्तर्गत इन प्राथमिकताओं का परिलक्षण सामाजिक बुनियादी ढाँचे में निवेश, सामाजिक सुरक्षा का सुदृढीकरण एवं 'व्यय' अधिक 'परिणामों' पर केन्द्रित था।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय के परिणामों के मूल्यांकन हेतु हमारे द्वारा राज्य स्तरीय प्रशासनिक विभाग (गृह-पुलिस विभाग, नगरीय विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जनजाति कल्याण विभाग एवं सिंचाई विभाग) और उनके सम्बन्धित निदेशालयों के योजना अवधि (2007-12) के अभिलेखों की जाँच मई से जुलाई 2012 के मध्य की गई।

विभागवार जाँच के परिणाम अग्रेतर प्रस्तरों में इंगित हैं:

2.6.2 गृह (पुलिस) विभाग

पुलिस प्रशासन के समस्त स्तरों मुख्यतः पुलिस थाना स्तर पर दक्ष एवं प्रभावी पुलिसिंग प्रणाली के सृजन हेतु अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित ₹ 113.78 करोड़ की लागत की क्राइम एवं क्रिमिनल नेटवर्किंग सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) परियोजना भारत सरकार द्वारा जुलाई 2009 में स्वीकृत की गयी। इस परियोजना के अंतर्गत अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (शत प्रतिशत केन्द्रीय पुरोनिधानित) की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जानी थी। परियोजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के अन्त तक कियाशील किया जाना था।

पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद और महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच के दौरान (जून 2012) हमारे द्वारा यह पाया गया कि भारत सरकार ने ₹ 31.19 करोड़ (2009-10: ₹ 7.31 करोड़, 2010-11: ₹ 19.52 करोड़ एवं 2011-12: ₹ 4.36 करोड़) की धनराशि विभाग को सीधे अवमुक्त की गयी थी। इस धनराशि को

अवरुद्ध कर रखा नहीं जाना था। फिर भी, महानिदेशक, लखनऊ ने (अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011 तक) उक्त धनराशि भारतीय स्टेट बैंक, शाखा जवाहर भवन, लखनऊ में सेविंग प्लस खाता एवं फिक्सड डिपॉजिट (8.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर से) एक से दो वर्ष के लिए (ब्याज अर्जन: ₹ 2.14 करोड़) जमा किया था तथामात्र ₹ 2.91 करोड़ व्यय किया। परियोजना की भौतिक प्रगति धीमी थी क्योंकि महानिदेशक, लखनऊ ने लगभग 24 माह विलम्ब से सिस्टम इन्टीग्रेशन कार्य के लिए मार्च 2012 में एन.आई.आई.टी. तथा बी.एस.एन.एल. के साथ नेटवर्किंग के लिए अप्रैल 2012 में अनुबंध गठित किया था। महानिदेशक, लखनऊ द्वारा यह बताया गया कि सी.सी.टी.एन.एस. का कार्य भारत सरकार द्वारा कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर की आपूर्ति न किये जाने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका।

2.6.3 नगरीय विकास विभाग

निदेशक, नगरीय विकास/स्थानीय निकाय, लखनऊ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा यह पाया गया कि जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिनुअल मिशन इस उद्देश्य से प्रारम्भ (दिसम्बर 2005) की गई थी कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त माह मार्च 2012 तक बड़े शहरों में सुधार और तेजी से बढ़ते विकास को प्रोत्साहन दिया जाए विशेष रूप से केन्द्र नगरीय मूलभूत संरचना एवं सेवा वितरण प्रणाली सुदृढ़ हो। इस मिशन के अन्तर्गत सात बड़े शहरों¹ में नगरीय मूलभूत संरचना एवं सुशासन योजना (यूआई0जी0), 46 छोटे एवं मध्यम नगरों² हेतु नगरीय मूलभूत संरचना विकास योजना (यूआई0डी0एस0एस0एम0टी0) तथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 एवं नगरीय गरीबों की प्राथमिक सेवाओं (बी0एस0यू0पी0) के अधीन जिन शहरों में ये योजनाएँ चल रही थीं, उन्हें छोड़कर सभी शहरों और कस्बों हेतु एकीकृत आवासीय एवं स्लम विकास कार्यक्रम पर बल दिया गया।

वर्ष 2007-12 की अवधि में मिशन के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यक्रमों एवं योजनाओं की वित्तीय स्थिति सारणी 2.11 में तथा उसके सापेक्ष भौतिक उपलब्धि परिशिष्ट 2.14 में दी गयी है।

सारणी 2:11: जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनुअल मिशन का वित्तीय प्रदर्शन

मुख्य क्षेत्र	अवधि	परिव्यय बजट/आवंटन	व्यय
		(₹ करोड़ में)	
यू.आई.जी.	2007-12	4180.00	2881.41
यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.		1394.00	881.78
आई.एच.एस.डी.पी.		810.38	719.94
बी.एस.यू.पी.		1302.22	1134.19

स्रोत: नगर विकास विभाग

परिशिष्ट 2.14 में दिए गए आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि यू.डी.आई.एस. एस.एम.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्टेक वेल एवं जल आपूर्ति कार्य मार्च 2012 में पूरे हो गए थे और शेष कार्य जैसे नलकूप आदि (26 से 57 प्रतिशत) अपूर्ण थे। इसी तरह यू. आई.जी. के अन्तर्गत सभी जलापूर्ति कार्य या तो अपूर्ण थे अथवा उसे प्रारम्भ नहीं किया गया था। परिशिष्ट 2.14 से भी यह अवलोकित किया जा सकता है कि योजना के अन्य कम्पोनेन्ट से सम्बन्धित कार्यों के परिणाम अपर्याप्त थे। निदेशक, राज्य स्तरीय

¹आगरा, इलाहाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, वाराणसी।

²आजमगढ़, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, बरेली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, गोण्डा, हरदोई, जौनपुर, झाँसी, कन्नौज, कुशीनगर, लखीमपुर, मैनपुरी, मऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रामपुर, रायबरेली, सीतापुर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, सहारनपुर, सोनभद्र, उन्नाव।

नोडल एजेन्सी (एस.एल.एन.ए.) ने यह बताया (जुलाई 2012) कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन एवं धनराशि की स्वीकृत में हुए विलम्ब के फलस्वरूप परिणाम अपर्याप्त थे।

2.6.4 माध्यमिक शिक्षा विभाग

शैक्षणिक व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह उच्च शिक्षा एवं रोजगार के लिए भी विद्यार्थियों को तैयार करता है। कक्षा 9 और 10 माध्यमिक स्तर एवं कक्षा 11 और 12 उच्च माध्यमिक स्तर को निर्दिष्ट करता है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए बच्चों की सामान्य औसत आयु 14-16 वर्ष जबकि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए यह 16-18 वर्ष है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में माध्यमिक शिक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिसके अंतर्गत सामान्य स्ट्रीम में सकल नामांकन अनुपात को कम से कम 65 प्रतिशत तक बढ़ाना; सकल नामांकन अनुपात की सामाजिक असमानता लिंग अन्तर को 5 प्रतिशत तक कम करना; किसी भी आबादी में माध्यमिक विद्यालय को 5 किलोमीटर के अन्दर और उच्च माध्यमिक विद्यालय 7 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के अन्दर स्थापित कराना था।

लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना अवधि में प्रावधानित ₹ 2,043.77 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2,678.00 करोड़ व्यय किया गया था यद्यपि, माध्यमिक शिक्षा के मुख्य सूचक निर्धारित से भिन्न परिणामित हुए थे। **परिशिष्ट 2.15** के विवरण से यह परिलक्षित है कि हाई स्कूल स्तर से इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण को छोड़कर सभी योजनाएं/कार्यक्रमों का परिणाम शून्य से 74 प्रतिशत रहा एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना जिसके अंतर्गत हाई स्कूल स्तर तक के विद्यालयों का उच्चीकरण एवं नवोदय विद्यालय पद्धति पर राजकीय हाई स्कूल खोलने की योजना क्रियान्वित नहीं की गयी थी। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने यह सूचित किया (जुलाई 2012) कि प्रशासनिक और वित्तीय कारणों से उक्त कमियाँ रही।

2.6.5 जन-जाति कल्याण विभाग

जनजाति कल्याण विभाग को भारत सरकार से अनुसूचित जनजातियों हेतु पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा अनुसूचित उप क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित करने हेतु धनराशियाँ प्राप्त हुई थी। वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सारणी 2.12 में दर्शाया गया है।

सारणी 2.12: वित्तीय प्रदर्शन

अवधि	परिव्यय एवं व्यय (₹ करोड़ में)		भौतिक प्रगति / कार्यक्रम का परिणाम		
	परिव्यय/ बजट आवंटन	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	कमी
पूर्व-दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति					
2007-12	7.43	1.28	59,843 छात्र एवं 12,571 छात्र कमशः	6,831 (11 प्रतिशत) छात्र एवं 2,069 (16 प्रतिशत) छात्र कमशः	53,012 एवं 10,502 छात्र कमशः
शासकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण (नवीन/उच्चीकरण)					
2007-12	3.13	3.13	13 विद्यालय	शून्य	13 विद्यालय

स्रोत: विभागीय आंकड़े

विभाग द्वारा निवर्तन पर रखी गई धनराशि के सापेक्ष मात्र 17 प्रतिशत धनराशि का ही उपयोग किया जा सका। छात्रवृत्ति वितरण हेतु 59,843 पूर्वदशम छात्रों एवं 12,571 दशमोत्तर छात्रों के लक्ष्य के विरुद्ध ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2007-12) के अन्तर्गत मार्च 2012 तक मात्र 6,831 पूर्व दशम छात्र (11 प्रतिशत) एवं 2,069 दशमोत्तर छात्रों (16 प्रतिशत) को ही छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध करायी जा सकी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 13 आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण (नवीन/उच्चीकरण) का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया (जुलाई 2009) जिसमें से दो विद्यालय—चन्दन चौकी, खीरी एवं नजीबाबाद, बिजनौर—प्रत्येक के निर्माण/विस्तार हेतु ₹ 3.13 करोड़ स्वीकृत किया गया एवं स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त (अक्टूबर 2009) कर दिया गया। चन्दन चौकी खीरी में विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारम्भ (दिसम्बर 2010) किया गया लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किस्त ₹ 156.30 लाख उपभोग करने के पश्चात प्रत्येक विद्यालय की निर्माण लागत ₹ 8.78 करोड़ तक बढ़ गयी थी जोकि निर्माण कार्य में हुए विलम्ब के कारण थी। परिणामस्वरूप, निर्माण एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया। नजीबाबाद, बिजनौर आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कार्य जो कि दिसम्बर 2010 में प्रारम्भ किया गया था भूमि विवाद के कारण रोक दिया गया। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित लागत को अवमुक्त किये जाने से मना कर दिया गया। नजीबाबाद, बिजनौर विद्यालय के निर्माण की अवशेष धनराशि बिना व्यय की पड़ी होने के कारण द्वितीय किस्त जोकि प्रथम किस्त के उपयोग के पश्चात ही अवमुक्त की जानी थी, निर्गत नहीं की गई। इस प्रकार, दो आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक (मार्च 2012) प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.6.6 सिंचाई विभाग

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 80 प्रतिशत कृषि है। ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) हेतु मुख्य एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 11.70 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 3.60 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना अवधि में निर्धारित धनराशि ₹ 12,185.24 करोड़ के सापेक्ष ₹ 8,543.47 करोड़ का व्यय किया गया जिसके कारण सिंचाई के मुख्य सूचक यथा निर्धारण से भिन्न परिणाम प्राप्त हुए सारणी—2.13।

सारणी 2.13: सिंचाई क्षमता का सृजन

(क्षेत्रफल लाख हे. में)

खण्ड	दसवीं पंचवर्षीय योजना का स्तर	ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रगति	ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर स्तर
मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	83.19	11.70	2.18(19)	85.37
लघु सिंचाई	37.54	3.60	2.01 (56)	39.55
योग	120.73	15.30	4.19 (27)	124.92

कोष्ठक में प्रतिशत प्रदर्शित किया गया है।

स्रोत: विभागीय आंकड़े

उपरोक्त के अतिरिक्त, ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में कुल सृजित सिंचाई क्षमता 124.92 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष उपयोग वृहद, मध्यम सिंचाई एवं लघु सिंचाई द्वारा मात्र 86.29 लाख हेक्टेयर (69 प्रतिशत) रहा।